फर्द अहकाम

न्यायालय _____

_____ बनाम _____

वाद संख्या /वर्ष : _____ /20 _____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20-9-2022	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार श्रमपक्षीय उपस्थित है। बहस प्रार्थी ना फरीकगौर किया व प्रार्थी का पत्र दावा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की जरिये इकरारनामा रुपये मुद्दा भूमि हो बस्ति वक्त भूमि में प्रार्थी संख्या 2 की थी जिसे नाम रामदास कर दिया उसके बाद अप्रार्थी संख्या 01 के हक में जरिये इकरारनामा वक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जो अप्रार्थी संख्या काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं मौके पर अप्रार्थी काबिज है, अप्रार्थी संख्या 2 ने कभी भी वक्त भूमि को प्रार्थी के हक में सरेण्डर नहीं किया। वक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के हक में दानपत्र कर दिया जो सही है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 02 वक्त भूमि का मालिक व स्वामी था लिये वक्त भूमि का अपनी बेटी को दान करने का पूरा हक व अधिकार था। वक्त भूमि से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण रिकार्ड के काबिज खातेदार है। प्रार्थी को बेदखल करने पर आतुर हो, जब प्रार्थी का वक्त भूमि पर कब्जा नहीं है तो बेदखल करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता प्रार्थी द्वारा इकरारनामे के आधार पर वाद पत्र पेश किया है जो किसी भी रूप में न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है। लिखावट इकरारनामे के आधार पर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की रिलीफ नहीं दी जा सकती। प्रार्थी ने स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जो कानूनी स्थायी निषेधाज्ञा का दावा [illegible] हकदार भी लागू नहीं होती है। [illegible] के आधार पर काबिज होकर आराजी का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। उपखण्ड अधिकारी रिकार्ड में अप्रार्थी या उनके स्वामी प्रार्थी मण्डावा का है, जो विपक्ष पत्र अप्रार्थी ने दिया है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:43:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, पाकरा (जयपुर)

Scanned with CamScanner

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		हकदार हुआ रहते हैं गवाह हैं और स्वयंसिद्ध पत्रों के आधार पर काश्तकार पिता के मालिक काश्तकार अपने पूर्व कुटुम्बित व्यवहार के आधार पर मानते हैं इसके बावजूद भी किया आधारों पर इन्तकाल का पत्र पेश किया है जबकि काश्तकार रिकॉर्ड काबिज खाते पर काश्तकार है जिसे पार्टी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपने हस्पा सुविधा का सैटलमेन्ट एवं कमरबीश हाति काश्तकारों के पक्ष में वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त व रिकॉर्ड काबिज खातेदार होने से कोई प्रकार अधिकार से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 का खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 11.7.2022 का प्रभावहीन हो जाता है। पत्रावली वाइकलीय दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, नीकसू (जयपुर) Signature Not Verified Digitally signed by Ashok Kumar Date: 2022.12.14 12:43:58 IST Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner